

न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्ता, खूँटी

अनुमति वाद संख्या :- 64 / 2017-18

(छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा - 46)

जोसेफ संगी

- विक्रेता

जीदन नूर संगी

- क्रेता

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित

आदेश की क्रम संख्या और तारीख

08.07.19

आदेश

आवेदक जोसेफ संगी पिता स्व० बेनेदिक संगी ग्राम-कनाडीह, पोस्ट-गुटजोरा, थाना खूँटी, जिला खूँटी ने जीदन नूर संगी पति श्री रोयन संगी ग्राम-कनाडीह(हुटार चौक), थाना खूँटी, जिला खूँटी के साथ निम्नलिखित भूमि के विक्रय हेतु छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अन्तर्गत अनुमति हेतु आवेदन पत्र दिया है।

ग्राम	थाना नं०	खाता नं०	खेसरा सं०	रकबा (एकड़ में)
कनाडीह	226	24	430	0.30

अंचल अधिकारी, खूँटी के पत्रांक 14 दिनांक 28.11.2018 से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। विक्रेता के द्वारा दिये गये आवेदन में उनके पिता का नाम स्व० बिनेदिक संगी लिखा गया है। उनके द्वारा दिये गये जाति एवं आवासीय प्रमाण पत्र में जोसेफ संगी पुत्र गुंदरा मुण्डा अंकित है। इससे जोसेफ संगी के पिता का नाम में भिन्नतः है। अतः वाद अस्वीकृत की जा जाती है। अभिलेख अभिलेखागार, खूँटी में जमा करें।

लेखापित एवं संशोधित

08/07/19
भूमि सुधार उप समाहर्ता,
खूँटी।

08/07/19
भूमि सुधार उप समाहर्ता,
खूँटी।